न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 25/2019/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांक 07.02.2019

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सुक्खाराम आत्मज भोलूराम उर्फ भोलू मृतक जरिये कायम मुकामान :-

1. नौरतनमल आत्मज सुक्खाराम आयु 45 वर्ष
2. पताशी बाई पत्नी सुक्खाराम आयु 65 वर्ष
3. मंगनी बाई पुत्री सुक्खाराम आयु 30 वर्ष
4. दयाल आत्मज सुक्खाराम मृतक जरिये कायम मुकामान :-

   4/1. जीवना बाई पत्नी दयाल जाति गुर्जर

   निवासीगण हरनावापट्टी तहसील परबतसर जिला नागौर

...अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज सांवला आयु 46 वर्ष जाति गुर्जर
2. जगदीश आत्मज सांवला आयु 41 वर्ष जाति गुर्जर
3. लाड़बाई पुत्री सांवला आयु 50 वर्ष जाति गुर्जर
4. छोटी बाई पुत्री सांवला आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर

   निवासीगण ग्राम धींगड़ा पाचनकुई, तहसील लाड़पुरा, कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर – अपीलांट्स
श्री रघुवीर सिंह राठौड़ –रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2

::निर्णय::

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)

दिनांक 08.04.2025

1 अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 की ओर से जेरकार अपील संख्या 25/2019 उनवान सुक्खाराम जरिये का.मु. नौरतनमल वगे0 बनाम प्रहलाद वगेरह में वास्ते स्थगित किये जाने अपील कार्यवाही दिनांक 09.11.2021 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पेश किया गया।

8/04/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवान की अपील न्यायालय हाजा में जेरकार है। प्रस्तुत अपील इंतकाल संख्या 1724 आदेश दिनांक 31.12.2018 न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के आदेश के विरूद्ध पेश की है तथा अपील में चाहे गये अनुतोष के लिये अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर, कोटा के यहां एक नियमित वाद संख्या 107/2019 बउनवान सुक्खाराम बनाम प्रहलाद वगै0 पेश किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद व प्रस्तुत अपील का अनुतोष एक ही है, इसलिए एक ही अनुतोष के लिए दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती। इंतकाल की अपील एक संक्षिप्त कार्यवाही है, नियमित वाद के जेरकार रहते संक्षिप्त इंतकाल की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील की कार्यवाही को वाद के निस्तारण तक स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया।

3 उपरोक्त प्रार्थना–पत्र का अपीलांट की ओर से जरिये अभिभाषक जवाब पेश करते हुए वर्णित किया कि वाद संख्या वाद संख्या 107/2019 बउनवान सुक्खाराम बनाम प्रहलाद वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में नियमित वाद जेरकार होना स्वीकार है। किंतु प्रस्तुत अपील इंतकाल के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विवादित इंतकाल की अपील करने का प्रावधान है। साथ ही दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलांट द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रस्तुत अपील प्रथम प्रस्तुत की गई है तथा बाद में दावा प्रस्तुत किया गया है। दोनों प्रकरण भिन्न–भिन्न सहायता एवं अधिनियम के होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

4 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संबंध में बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2) एवं अप्रार्थी (अपीलार्थी) सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (रेस्पो0 1 एवं 2) ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के समर्थन में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं सहायक कलक्टर, कोटा में विचाराधीन वाद का अनुतोष एक ही है इसलिए एक ही अनुतोष के लिये दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती प्रस्तुत अपील एक समरी कार्यवाही है, नियमित वाद के जैरकार रहते समरी कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया।

6 विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (अपीलांट) ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इंतकाल के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विवादित इंतकाल की अपील करने का प्रावधान है। साथ ही दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलांट द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। दोनों प्रकरण भिन्न–भिन्न सहायता एवं अधिनियम के होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

8/04/2025
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

7 हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के समक्ष दिनांक 05.10.2017 को ग्राम रानपुर के खसरा सं0 847 रकबा 6.20 है0 का हिस्सा 1/3 मृतक भोलूराम उर्फ भोलू द्वारा नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करने का अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया तथा उक्त भूमि का नामांतरकरण खुलवाने हेतु अन्य प्रार्थीगण (रेस्पो0 क्र.1 एवं 2) द्वारा भी दिनांक 28.07.2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मृतक भोलू के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण प्रार्थीगण (रेस्पो0 क्र.1 एवं 2) एवं माता पांचीबाई (मृतक) के नाम इन्तकाल तस्दीक किये जाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त प्रार्थना–पत्रों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुक्खाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दत्तक पुत्र का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से एवं साबित नहीं कर पाने से, मौके पर कब्जा नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया तथा मृतक भोलू पि0 लक्ष्मण के नाम ग्राम रानपुर के खसरा सं0 847 रकबा 6.20 है के हिस्सा 1/3 पर प्रहलाद, जगदीश पुत्र लाड़बाई, छोटीबाई पुत्रियां पांची बेवा सांवला के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.12.2018 पारित किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में अपीलांट की ओर से न्यायालय तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा द्वारा मि.नं. 31/2018 अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित निर्णय दिनांक 31.12.2018 की पालना में खोले गये इंतकाल संख्या 1724 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई।

8 उपरोक्त विवेचित तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर गौर करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा के यहां नियमित वाद संख्या 107/2019 बउनवान सुक्खाराम बनाम प्रहलाद वगे0 जेरकार है, जिसमे पक्षकारान के हक हकूको का विधि अनुसार निर्धारण होना है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता तथा एक ही अनुतोष के लिये दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति में नियमित वाद के विचाराधीन होने से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील प्रकरण में इस स्टेज पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायहित मे रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तदनुसार हस्तगत अपील प्रकरण को इसी स्टेज पर प्रश्नगत आराजी/नामांतरकरण के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा के यहां नियमित वाद संख्या 107/2019 बउनवान सुक्खाराम बनाम प्रहलाद वगे0 राजस्व नियमित मूल वाद के विचाराधीन होने से स्थगित किया जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

8/04/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा